बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा वन प्रमंडल, सहरसा।

वन भवन, मत्स्यगंधा रोड, सहरसा-852201, दूरभाष : 06478-222603/ फैक्स : 06478-222603

कार्यालय आदेश संख्या :- 256

दिनांक :- 06.10.2026

श्री शशि कुमार गुप्ता द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत बैहरी मौजा के खाता संख्या–118, प्लॉट संख्या–857, 856 थाना सं0–18, थाना–सिंहेश्वर में NH-131 (Old NH-106) दुर्गा चौक–पीपरा पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 0.0255 हे0 वन भूमि का उपयोग पहुँच पथ के निर्माण के लिए सरकार के उप सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के ज्ञापांक वनभूमि–10/2024/4174 दिनांक 17.07.2026 से प्राप्त आदेश के आलोक में अनुमति देने के प्रस्ताव पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा द्वारा प्रस्ताव संख्या FP/BR/PetrolPump/501604/2024 दिनांक 09.09.2026 द्वारा सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति (Stage I) प्रदान की गयी है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक 1852 दिनांक 09.09.2026 द्वारा Stage I में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दिनांक 15.09.2026 को समर्पित किये जाने के उपरान्त प्रस्ताव संख्या FP/BR/PetrolPump/501604/2024 दिनांक 17.09.2026 द्वारा उक्त पहुँच पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 0.0255 हे0 वन भूमि का उपयोग की अनुमति देने के प्रस्ताव पर अंतिम स्वीकृति (Stage II) निम्नलिखित शर्त्तो के साथ प्रदान की गयी है:–

S. No	Conditions
1.1	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.
1.2	Compensatory afforestation: The State Forest Department shall plant 100 numbers of trees to maintain the green cover at the project cost. Planting site for the purpose shall be identified by the State Forest Department preferably in the vicinity of the project site. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
1.3	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by the way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
1.4	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake by involving local community, afforestation measures in the blanks within the lease area, as well as along the roads outside the lease area diverted under this approval, in consultation with the concerned DFO at the project cost.
1.5	The approach road to petrol pump/fuel station should be as per the following norms issued by the Ministry of Road Transport and Highways and communicated vide Ministry's letter No.11- 268/2014-FC dated 11.07.2014:- (a) Fuel station should generally be a part of rest area complex having other amenities like place for parking, toilets, restaurants, rest rooms, shops etc. Proper planning should be done by the user agency, in advance, for construction of such complex along the highways so that destruction of road side forest is minimized. (b) Suitable signs and markings showing the location of the fuel station may be provided without disturbing the road side plantations. (c) Entire periphery of the retail outlet should be lined up with tree plantation at a close spacing of 1.0 to 1.5 meter keeping an offset of 1.5 meter from the boundary, with light crown trees which will maintain greenery without compromising with the

	functional space requirement. (d) Suitable plantations should be raised by the user agency along the approach road, Separator Island and other vacant areas in addition to the compensatory afforestation, required to be raised as per guidelines.
1.6	The layout plan of the proposed diversion of the forest land shall not be changed without the prior approval of Ministry/Deptt. of Environment, Forest & Climate Change.
1.7	The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged in construction activity do not damage the nearby forest flora and fauna.
1.8	The diverted forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
1.9	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the existence of the petroleum Retail Outlet and requirement of land for access road.
1.10	The diverted forest land shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Ministry/Deptt. of Environment, Forest & Climate Change.
1.11	Earth or any other material shall not be brought from and debris resulting during construction shall not be disposed of in the adjoining forest area by the user agency.
1.12	Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken as prescribed in Comprehensive Guidelines issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and rules framed thereunder.
1.13	Any other condition that the Ministry/Deptt. of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.

अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के OA N.5074(E) दिनांक 29.11.2023 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा द्वारा प्रस्ताव संख्या FP/BR/PetrolPump/501604/2024 दिनांक 17.09.2026 द्वारा प्रदत्त अनुमति में निहित शर्त्तो के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य शर्त्तो के साथ वनभूमि के उपयोग कि अनुमति प्रदान की जाती है।

1. प्रयोक्ता एजेंसी को अंतिम स्वीकृति आदेश को समेकित रूप से स्थानीय समाचार पत्र (एक अंग्रेजी एवं एक हिन्दी) में अक्षरशः प्रकाशित कराना होगा ।
2. प्रयोक्ता एजेंसी को अंतिम स्वीकृति आदेश की एक प्रति को स्थानीय निकाय वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा कार्यालय पट्ट पर 30 दिनों के अंदर प्रदर्शनार्थ, निकाय प्रधान को सौंपना होगा ।

प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा स्वंय के खर्च पर उक्त वर्णित 0.0255 हे0 वन भूमि पर रिटेल आउटलेट खोलने के लिए पहुंच पथ निर्माण होने वाले वन भूमि का संबंधित वनों के क्षेत्र पदाधिकारी की उपस्थिति में सीमांकन किया जायेगा ।

उपर्युक्त अंकित शर्तो का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने की स्थिति में या गैर वानिकी उपयोग होने वाली वन भूमि पर इस अनुमति से निहित प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य गैर वानिकी कार्य किए जाने की स्थिति में बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को यह अधिकार होगा वन भूमि पर किये जाने वाले अन्य गैर वानिकी कार्य को तत्काल बंद कराते हुये तत्संगत अधिनियम के तहत कानूनी

कार्रवाई के उपरान्त वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग की यह अनुमति रद्द करते हुये/वापस लेते हुये भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचित करें ।

विश्वासभाजन,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सहरसा वन प्रमंडल, सहरसा ।

ज्ञापांक– 2082 दिनांक– 06.10.2026

प्रतिलिपिः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) बिहार, पटना/वन संरक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ समर्पित ।

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड कराने हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– श्री शशि कुमार गुप्ता, पिता– अनंतलाल साह, ग्राम–बेहरी, वार्ड नं0–09, थाना–सिंहेश्वर, जिला–मधेपुरा, पिन–852128 को प्राप्त अंतिम स्वीकृति पत्र के साथ सूचनार्थ, कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शनार्थ (30 दिनों तक) एवं उपरोक्त शर्त्तो के अनुरूप कार्यार्थ प्रेषित।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सहरसा वन प्रमंडल, सहरसा ।